No. 13212.—Whereas the land described in the Haryana Government notification No. 132, dated 22nd March, 1978 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the expense of the public for a public purpose, namely, for the construction of Sherpura Distributary from RD. 37000 to 45500 in villages Mohla and Siwani in Tehsil Loharu and Bawani Khera District Bhiwai.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer, Bhiwani to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification.

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Name of Village	Hadbast No.	Area in acres	Boundary
					A Strip of Land measuring 8500 Feet in Length and varying in widths comprising of part field numbers given as under:—
Bhiwani	Loharu	Mohla	123	15.67	165, 166, 253, 252, 251, 250, 249, 220, 221, 222, 225, 208, 206, 200, 199.
Bhiwani	Bawani Khera	Sewani	128	1.70	1
			Total	17.37	And generally lying in the Direction of South East to WEST as demarcated at site and as shown on the index plans.

By order of the Governor of Haryana.

B. L. THUKRAL,
Superintending Engineer,
Loharu Canal Circle, Rohtak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 23 नवम्बर, 1983

सं. श्रो.जो./एफ.डी/34-83/61681.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भारत पैकेजिंग इन्डस्ट्रीज, जवाहर कालोनी (सारन) एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक 20 प्रतिशत की दर से वर्ष 1981–82 के बोनस के हकदार हैं ? यदि हैं, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिक को नियुक्ति पत्र तथा कन्फरमेशन पत्र दिये जायें ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

एम. सी. गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।